गुरूवार, 29 जनवरी, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

वॉशिंगटन सुंदर की नेट पर वापसी

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

मर्डर मिस्ट्री में नया ट्विस्ट: बरुण सोबती के साथ मोना सिंह की जबरदस्त वापसी

Page-05

बारामती के 'दादा' अजित पवार:

महत्वाकांक्षा, संघर्ष और सत्ता की सीधी राजनीति

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार मंत्रालय में आराम से बैठे थे. कैबिनेट बैठक और उसके बाद कुछ अन्य बैठकों को निपटाने के बाद वह राज्य सचिवालय की छठी मंज़िल पर मौजूद पत्रकारों से हल्की-फुल्की बातचीत कर रहे थे. वह मुख्यमंत्री के कक्ष में आने-जाने वाले विधायकों से अपने खास अंदाज़ में मिल रहे थे, जिसमें हल्का-फुल्का मज़ाक था, लेकिन उसके पीछे गर्मजोशी छिपी थी. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की विधायक मंदा म्हात्रे से कहा, "देखो मंदा ताई, पचपुते का छोटा बच्चा तुमसे भी बड़ा कमल लगाए घूम रहा है." मंदा म्हात्रे पहले अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में कई साल 'अजित दादा' के साथ काम कर चुकी हैं, जैसा कि अजित पवार को लोकप्रिय रूप से कहा जाता था. म्हात्रे ने दिप्रिंट से बात करते हुए बताया कि 'पचपुते का पोर्गा' से अजित पवार का मतलब बीजेपी नेता बाबनराव पचपुते के बेटे और श्रीगोंदा से विधायक विक्रम पचपुते से था. शुरुआती मज़ाक के बाद अजित पवार ने पचपुते के कारोबार और फैक्ट्री की प्रगति के बारे में भी पूछा. मंदा म्हात्रे ने कहा, "मैंने उन्हें 20 जनवरी को मेरे जन्मदिन पर सुबह 7 बजे फोन करने के लिए भी धन्यवाद दिया, जैसा कि वह हर साल करते हैं. मैंने उनसे कहा था कि 20 जनवरी 2027 को भी मैं सुबह 7 बजे फोन के पास इंतज़ार करूंगी." 66 वर्षीय अजित पवार की बुधवार तड़के मौत हो गई, जब उनका निजी विमान उनके परिवार के गढ़ बारामती में क्रैश लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में चालक दल के दो सदस्य और दो अन्य कर्मी, जिनमें एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और एक अटेंडेंट शामिल थे, की भी मौत हो गई. अजित पवार महाराष्ट्र के अब तक के सबसे लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री रहने वाले नेता के रूप में जाने जाएंगे, हालांकि यह कार्यकाल लगातार नहीं रहा. उन्होंने छह बार यह पद संभाला. राज्य का नेतृत्व करने और मुख्यमंत्री

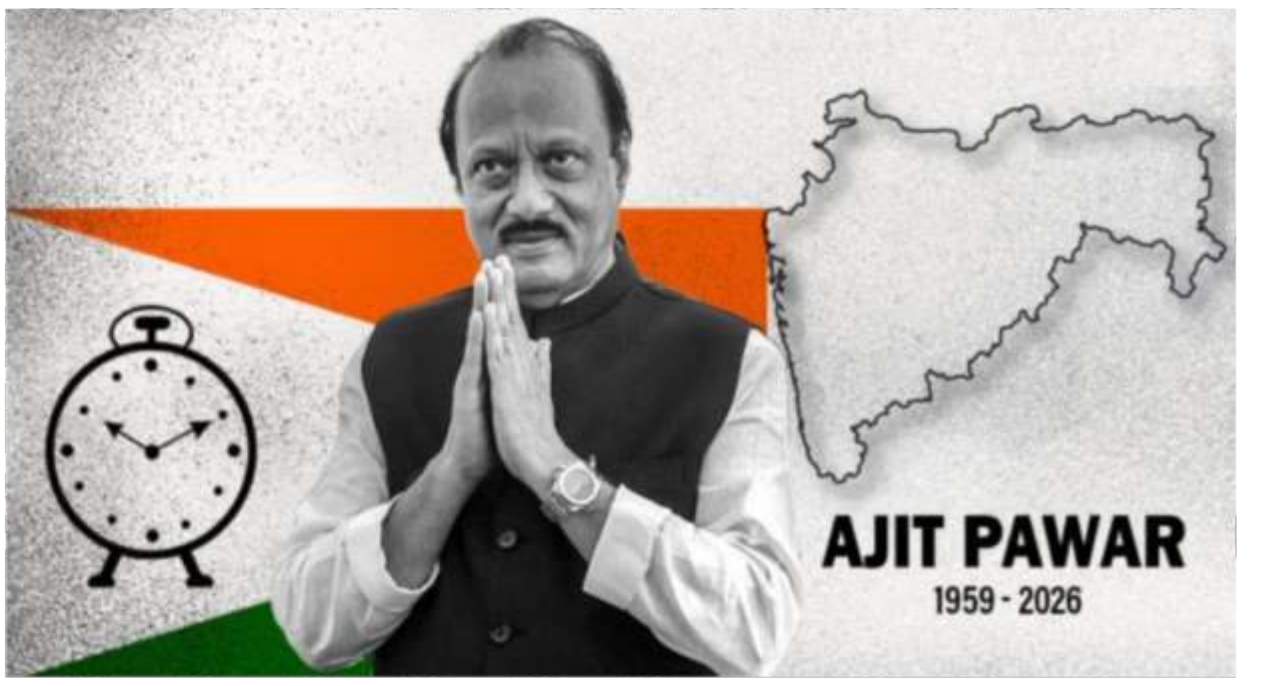

बनने की उनकी इच्छा थी, लेकिन अब यह सपना अधूरा ही रह गया. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "वह एक बेहतरीन वक्ता थे. आज महाराष्ट्र शोक में है. वह मुख्यमंत्री बनना चाहते थे. अगर वह मुख्यमंत्री बनते, तो महाराष्ट्र को एक अच्छा प्रशासक मिलता, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर पाए," उन्होंने आगे कहा, "दस साल बाद वही अजित दादा मीडिया में प्रचार और ब्रांडिंग के लिए पूरी एजेंसी रखने लगे."

सुनेत्रा पवार होंगी अगली डिप्टी सीएम?

महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख अजित पवार की बुधवार को हुए प्लेन हादसे में मौत हो गई. इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और यह चर्चा शुरू हो गई है कि अजित पवार के बाद NCP की कमान कौन संभालेगा. सूत्रों के मुताबिक, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का अगला उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की. इस बैठक में NCP के अन्य वरिष्ठ नेता छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे भी मौजूद रहे. इस मुलाकात के बाद से सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. वहीं, पार्टी के नए अध्यक्ष के तौर पर प्रफुल्ल पटेल का

नाम भी चर्चा में है. सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव को लेकर NCP नेतृत्व जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकता है. इस दौरान NCP (SP) के संभावित विलय को लेकर भी बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है.

बेटों ने अजित पवार को दी मुखाग्नि

जवानों ने आखिरी बार किया सैल्यूट

महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार का गुरुवार को उनके गृह नगर बारामती में अंतिम संस्कार कर दिया गया. बारामती के काटेवाड़ी स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में हुए अंतिम संस्कार के दौरान एक जनसैलाब उमड़ पड़ा. हर आंख नम थी और हर जुबां पर 'दादा' का नाम था. पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जिसके बाद उनके दोनों बेटों पार्थ और जय पवार ने उन्हें मुखाग्नि दी. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल दुख की इस घड़ी में पूरा पवार परिवार एकजुट नजर आया. अंतिम संस्कार के वक्त अजित पवार के चाचा और एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार, चचेरी बहन सुप्रिया सुले और पत्नी सुनेत्रा पवार बेहद भावुक नजर आए. पार्थ और जय पवार ने नम आंखों से पिता के अंतिम संस्कार की रस्में निभाईं. अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए देश और राज्य के बड़े नेताओं का तांता लगा रहा. केंद्रीय गृह

मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश और मनसे प्रमुख राज ठाकरे समेत कई दिग्गजों ने बारामती पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक,

केंद्र सरकार और यूजीसी को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नियमों पर फिलहाल रोक लगाते हुए 19 मार्च तक जवाब मांगा है और विशेषज्ञ समिति बनाने पर भी विचार करने को कहा है. सीजेआई ने कहा कि हमें आजादी मिले 75 साल गुजर चुके हैं और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे है. सीजेआई ने कहा कि अंतरजातीय विवाह हो रहे है और विश्विद्यालयों में छात्र पढ़ते हैं साथ रहते हैं. जस्टिस बागची ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम अमेरिका जैसे पृथक विश्वविद्यालयों में नहीं जाएंगे, जहां अश्वेत और श्वेत अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते थे. बता दें कि यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल सहित अन्य ने याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट को बताया कि यूजीसी के नियम 3 (C) गलत है. जैन ने कहा कि इस कानून कि जरूरत क्या थी. वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है. शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का भेदभाव समाज में खाई को बढ़ावा देने वाला है.सीजेआई ने कहा कि हम समानता के अधिकार पर गौर कर रहे हैं. यह नियम खरे उतरते हैं या नहीं. आप उस पर दलील दें. जैन ने कहा कि अनुच्छेद 14 में क्लासिफिकेशन को स्पष्ट किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के इस पर फैसले भी हैं जिनमें स्पष्टीकरण है. जैन ने कहा कि सेक्शन 3C अनुच्छेद 14 के बिल्कुल विपरीत है. उन्होंने यह भी कहा कि हम जाति आधारित भेदभाव के इस प्रावधान पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि मान लीजिए कि दक्षिण का कोई छात्र उत्तर में प्रवेश लेता है या उत्तर का कोई छात्र दक्षिण में दाखिला लेता है. यदि कोई छात्र उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करता है और दोनों पक्षों की जाति ज्ञात नहीं है, तो कौन सा प्रावधान इसके अंतर्गत आता है? जैन ने कहा कि हां इसके अंतर्गत आता है. याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जनवरी 2026 को नए नियमों को लागू किया है, जिसके खिलाफ यह याचिका दायर की गई है. इन नियमों का मूल उद्देश्य कैंपस के अंदर जातिगत भेदभाव को जड़ से खत्म करना और वंचित वर्ग के छात्रों को सुरक्षित शैक्षणिक परिवेश प्रदान करना था.

हालांकि इन नियमों ने ऐसी बहस को जन्म दे दिया, जिसने न केवल छात्र राजनीति को गर्मा दिया है, बल्कि सरकार को भी अपनी राजनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है.

वहीं, याचिकाकर्ता की दलील है कि नियम 3 (सी) के तहत जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित कर दिया है. इसके चलते सामान्य वर्ग से जुड़े लोगों को यदि किसी प्रकार की जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़े तो उन्हें औपचारिक शिकायत दर्ज कराने का अधिकार नहीं मिल पाता, दायर याचिका में इसे संविधान के समानता और मौलिक अधिकारों से जुड़ी धाराओं के खिलाफ बताया गया है. सुप्रीम कोर्ट से नियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है, साथ ही यह भी मांग की गई है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में बनाए गए सभी शिकायत निवारण तंत्र जाति निरपेक्ष हो और किसी भी वर्ग के व्यक्ति को भेदभाव करने की शिकायत से वंचित न किया जाए. यूजीडी के नए इक्विटी रूल के तहत सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों को 24×7 हेल्पलाइन शुरू करनी होगी.

नितिन नबीन के बॉस बनने के बाद BJP की पहली फतह, कांग्रेस-AAP को दी मात

नितिन नबीन के संगठन की कमान संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी को चंडीगढ़ में पहली बड़ी सफलता मिली है. पहली ही कोशिश में पार्टी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ते हुए मेयर पद पर कब्जा कर लिया. बीजेपी उम्मीदवार सौरव जोशी को नगर निगम चुनाव में 18 वोट मिले और उन्हें विजेता घोषित किया गया. आम आदमी पार्टी के योगेश ढींगरा को 11 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह गब्बी को 7 वोट हासिल हुए. पिछले साल के विवादों से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन ने बैलेट पेपर की जगह हाथ उठाकर मतदान कराने का फैसला किया. 1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब पार्षदों ने खुले तौर पर वोट दिया और कैमरे के सामने मौखिक घोषणा भी की. इसके बाद सभी ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर प्रक्रिया पूरी की.मेयर पद जीतने के लिए 19 वोटों की जरूरत थी लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले सौरव जोशी को विजेता घोषित किया गया. यह फैसला सदन में मौजूद पीठासीन अधिकारी रमनीक सिंह बेदी की निगरानी में हुआ.

NCC रैली में 'Operation Sindoor' का जिक्र

पीएम मोदी ने नई चुनौतियों पर जोर दिया

सेना, नौसेना, वायु सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंडों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य आमंत्रित अतिथियों सहित विशिष्ट दर्शकों के समक्ष मनमोहक धुनों की श्रृंखला प्रस्तुत की।

भारतीय सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के बैंड समूहों ने आज बीटिंग रिट्रीट समारोह में 'वंदे मातरम्', 'कदम कदम बढ़ाए जा', 'विजय भारत', 'सितारे हिंद' और 'ब्रेव वारियर' गीत सहित कई मधुर गीतों की धुनें प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। हम आपको बता दें कि बीटिंग रिट्रीट परंपरागत रूप से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक होता है। इस वर्ष, समारोह के लिए बैठने के स्थानों का नाम भारतीय वाद्ययंत्रों जैसे 'बांसुरी', 'डमरू', 'एकतारा', 'एसराज', 'मृदंगम', 'नगाड़ा', 'पखावज', 'संतूर', 'सारंगी', 'सरिंदा', 'सरोद', 'शहनाई', 'सितार', 'सुरबहार', 'तबला' और 'वीणा' के नाम पर रखा गया। कर्तव्य पथ पर इस वर्ष आयोजित औपचारिक परेड और इससे संबंधित अन्य समारोहों का प्रमुख विषय राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम्' की डेढ़ सौवीं वर्षगांठ रही। इस तरह इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह राष्ट्र गीत के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न भी रहा। हम आपको बता दें कि सेना, नौसेना, वायु सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंडों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य आमंत्रित अतिथियों सहित विशिष्ट दर्शकों के समक्ष मनमोहक धुनों की श्रृंखला प्रस्तुत की। समारोह का आरंभ सामूहिक बैंड द्वारा 'कदम कदम बढ़ाए जा' की धुन से हुआ, जिसके बाद पाइप और ड्रम बैंड द्वारा 'अतुल्य भारत', 'वीर सैनिक', 'मिली झूली', 'नृत्य सरिता', 'मरूनी' और 'झेलम' जैसी मधुर धुनें प्रस्तुत की गयीं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंडों ने 'विजय भारत', 'हथरोही', 'जय हो' और 'वीर सिपाही' की धुनें बजाईं। वायु सेना के बैंड द्वारा बजाई गई धुनों में 'ब्रेव वॉरियर', 'द्वाइलाइट', 'अलर्ट' और 'फ्लाइंग स्टार' शामिल रहीं, जबकि नौसेना के बैंड ने 'नमस्ते', 'सागर पवन', 'मातृभूमि', 'तेजस्वी' और 'जय भारती' बजाया। इसके बाद सेना के बैंड ने 'विजयी भारत', 'आरंभ है, प्रचंड है', 'ऐ वतन, ऐ वतन', 'आनंद मठ', 'सुगम्य भारत' और 'सितारे हिंद' बजाया। आज कर्तव्य पथ पर सूर्य ढलते ही देश ने अनुशासन और संगीत का विराट संगम देखा। राष्ट्रपति के आगमन के साथ ही माहौल में गंभीरता और गर्व की लहर दौड़ गई।

वित्त मंत्री निर्मला जी का लगातार नौ बजट पेश करना गर्व की बात : PM Modi

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करना भ ारत के संसदीय इतिहास में गौरव का विषय होगा। सीतारमण रविवार को संसद में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी।मोदी ने कहा, "वित्त मंत्री निर्मला जी लगातार नौवीं बार संसद में बजट पेश करने वाली हैं- ऐसा करने वाली वह देश की पहली महिला वित्त मंत्री होंगी। भारत के संसदीय इतिहास में इस क्षण को गौरव के साथ दर्ज किया जा रहा है।" पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया था, जबकि पी. चिदंबरम ने नौ बार बजट पेश किया, लेकिन वह लगातार नहीं कर सके।

द्रम्प फैक्टर से वैश्विक वैश्विक राजनीति ? EU-कनाडा-भारत की मेगा डिफॉल्ट के मायने

पाकिस्तान की सेना में बड़ा बदलाव किया जा रहा है: आसिम मुनीर

पाकिस्तानी रक्षा बलों के प्रमुख (सीडीएफ) फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बृहस्पतिवार को कहा कि पाकिस्तान की सेना कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव से गुजर रही है। मुनीर ने दोहराया कि वे देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हर तरह के खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सेना द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मुनीर ने बहावलपुर छावनी के दौरे के दौरान ये टिप्पणियां कीं। इस दौरान उन्हें कोर के विभिन्न परिचालन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बहु-आयामी युद्ध की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया गया।सैनिकों को संबोधित करते हुए मुनीर ने उनके उच्च मनोबल, पेशेवर दक्षता और परिचालन तत्परता की सराहना की।

पाकिस्तानी सेना के भी प्रमुख मुनीर ने इस बात की पुष्टि की कि सशस्त्र बल पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हर तरह के खतरों के खिलाफ पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने भविष्य के युद्धक्षेत्र और सुरक्षा चुनौतियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकतम तत्परता बनाए रखने की

आवश्यकता पर जोर दिया। सेना ने कहा, ''सीडीएफ और सेना प्रमुख ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पाकिस्तानी सशस्त्र बल कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं।''

उन्होंने कहा, ''भविष्य में तकनीकी रणनीति भौतिक सैन्य गतिविधियों का स्थान लेंगी और आक्रामक एवं रक्षात्मक अभियानों को अंजाम देने के तरीके में मौलिक परिवर्तन आएगा। इसलिए, पाकिस्तानी सशस्त्र बल तेजी से प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं और आत्मसात कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में नवाचार, स्वदेशीकरण और अनुकूलन मूल आधार बने रहेंगे।''

अमेरिका में वेनेजुएला के नागरिकों को मिले कानूनी संरक्षण को समाप्त करना अवैध था

अमेरिका की एक संघीय अपीलीय अदालत ने बुधवार को फैसला दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा देश में वेनेजुएला के हजारों नागरिकों को निवास और काम करने की अनुमति देने वाले कानूनी उपायों को समाप्त किया जाना गैरकानूनी था। यहां नौवीं 'अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स' के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि गृहमंत्री क्रिस्टी नोएम ने वेनेजुएला के लोगों को संरक्षण देने की अस्थायी व्यवस्था को समाप्त करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया था। हालांकि, इस फैसले का तत्काल कोई व्यावहारिक असर नहीं होगा क्योंकि अक्टूबर में अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने अंतिम निर्णय आने तक नोएम के फैसले को प्रभावी रखने की अनुमति दे दी थी। गृह मंत्रालय से फैसले पर ई-मेल भेजकर मांगी गई प्रतिक्रिया का तत्काल कोई जवाब नहीं मिला।

अपराध-सज़ा और तालिबानी नियम

पत्नी की पिटाई पर 15 दिन की जेल,बशर्ते 'नील के निशान' नजर आएं

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भारत की अपनी ऐतिहासिक तीन दिवसीय राजकीय यात्रा का समापन किया। इस यात्रा के परिणामस्वरूप भारत-यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से 13 महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिनमें भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) और सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी के तहत एक रक्षा समझौता शामिल है। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि कोस्टा बुधवार को यात्रा के बाद रवाना हो गए, जबकि वॉन डेर लेयेन कल रवाना हुईं। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को अत्यंत सफल बताते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुए 13 महत्वपूर्ण समझौतों" का उल्लेख किया।पोस्ट में आगे लिखा गया कि एक ऐतिहासिक यात्रा संपन्न हुई। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा एक बेहद सफल यात्रा के बाद रवाना हो गए। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन कल शाम रवाना हुईं। इस यात्रा

के परिणामस्वरूप 13 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले हैं जो भारत-यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी की गहराई और व्यापकता को बढ़ाएंगे। मंत्रालय ने आगे कहा कि इन निष्कर्षों से भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए यूरोपीय बाज़ार तक पहुंच बढ़ेगी। इसमें आगे कहा गया, "ये निष्कर्ष हमारी वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाज़ार तक पहुंच बढ़ाएंगे, अधिक रोज़गार और अवसर पैदा करेंगे और हमारे लोगों की प्रगति में सहयोग देंगे। भारत और यूरोपीय संघ ने एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए अपनी बातचीत पूरी करके एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे "सभी समझौतों की जननी" कहा जा रहा है।

संपादक की कलम से

अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति का वह नाम हैं, जिन्हें उनके बेबाक बयान, जुझारू तेवर और सत्ता को लेकर स्पष्ट महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने अपनी राजनीतिक पहचान केवल विरासत के सहारे नहीं, बल्कि जमीनी पकड़ और निर्णायक शैली से बनाई है। बारामती से उनका रिश्ता इतना गहरा है कि वहां वे सिर्फ नेता नहीं, बल्कि 'दादा' के नाम से पहचाने जाते हैं।अजित पवार का राजनीतिक सफर संघर्ष और विवाद—दोनों से भरा रहा है। उन्होंने युवा उम्र में राजनीति में कदम रखा और जल्द ही यह साफ कर दिया कि वे भीड़ में खड़े होने वाले नेता नहीं हैं। प्रशासनिक फैसलों पर उनकी पकड़, अफसरशाही पर सख्त रुख और विकास कार्यों को लेकर आक्रामक अप्रोच ने उन्हें एक 'नो-नॉनसेंस' नेता की छवि दी। सिंचाई, बिजली और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर उनका फोकस खासतौर पर पश्चिमी महाराष्ट्र में दिखाई देता है।उनकी बेबाकी कई बार उनके लिए राजनीतिक मुश्किलें भी लेकर आई। सार्वजनिक मंचों पर दिए गए कुछ तीखे बयान विवादों में घिरे, लेकिन अजित पवार कभी अपनी बात से पीछे हटते नहीं दिखे। समर्थकों के लिए यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है—वे जो सोचते हैं, वही बोलते हैं। आलोचकों का मानना है कि यही बेबाकी कई बार उनके लिए बोझ बन जाती है, लेकिन अजित पवार की राजनीति समझौतों से ज्यादा स्पष्टता पर टिकी रही है।महत्वाकांक्षा अजित पवार की राजनीति का अहम हिस्सा रही है। सत्ता के केंद्र में रहने की उनकी चाह किसी से छुपी नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में आए बड़े उलटफेरों के दौरान उनका रुख बार-बार चर्चा का विषय बना। इन फैसलों ने उन्हें एक जोखिम उठाने वाले नेता के रूप में स्थापित किया, जो हालात के हिसाब से बड़े कदम उठाने से नहीं हिचकते।बारामती अजित पवार की सियासी ताकत की सबसे बड़ी पहचान है। यहां उन्होंने विकास को राजनीति का मुख्य आधार बनाया। सड़कें हों, सिंचाई परियोजनाएं हों या शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान—बारामती मॉडल को अक्सर उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। यही कारण है कि स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत है और विरोध के बावजूद उनका प्रभाव कम नहीं हुआ।कुल मिलाकर अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के ऐसे नेता हैं, जो या तो पूरी तरह पसंद किए जाते हैं या खुलकर विरोध का सामना करते हैं। बेबाक, जुझारू और महत्वाकांक्षी अजित पवार ने यह साबित किया है कि वे केवल पवार परिवार की विरासत नहीं, बल्कि अपने फैसलों और तेवरों से पहचाने जाने वाले 'बारामती के दादा' हैं।

UGC गाइडलाइन बनाम विरोध, टकराव के नतीजे क्या होंगे?

कहीं भारी न पड़ जाए गाइडलाइन पर गुस्सा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की जनवरी में जारी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ देशभर के छात्रों और शिक्षाविदों के एक बड़े तबके में भारी रोष दिख रहा है। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 यानी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम को लेकर सामान्य वर्ग आशंकित है। उसका कहना है कि यह गाइडलाइन निष्पक्ष नहीं है, और इसके ज़रिए सामान्य वर्ग के छात्रों का उत्पीड़न हो सकता है। दरअसल नए नियमों में 'जातिगत भेदभाव' का मतलब केवल अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के खिलाफ भेदभाव बताया गया है। विवाद इसी को लेकर है । सामान्य वर्ग के छात्रों और छात्र संगठनों का आरोप है कि यह परिभाषा एकतरफा है और इसमें 'सामान्य वर्ग' के खिलाफ भेदभाव या झूठी शिकायतों का कोई जिक्र नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की जनवरी में जारी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ देशभर के छात्रों और शिक्षाविदों के एक बड़े तबके में भारी रोष दिख रहा है। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026' यानी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम को लेकर सामान्य वर्ग आशंकित है। उसका कहना है कि यह गाइडलाइन निष्पक्ष नहीं है, और इसके ज़रिए सामान्य वर्ग के छात्रों का उत्पीड़न हो सकता है। इस मामले में जारी विवादों पर चर्चा से पहले नए नियमों को भी देख लेना चाहिए। नए नियमों में भेदभाव को पूरी तरह अनुचित, पक्षपाती व्यवहार माना गया है। इसके तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ही नहीं, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान, या विकलांगता जैसे आधार पर भी भेदभाव ग़लत माना गया है। इस नियम में शिक्षा में समानता को बाधित करने वाले या मानवीय गरिमा का उल्लंघन करने वाले हर काम को ग़लत माना गया है। इस गाइडलाइन के तहत हर उच्च शिक्षण संस्थान को समान अवसर केंद्र यानी ईओसी स्थापित करना जरूरी होगा। इस केंद्र का उद्देश्य संस्थान में समता, सामाजिक समावेशन एवं समान पहुँच को बढ़ावा देना तो होगा ही, साथ ही शैक्षणिक परिसरों में भेदभाव से संबंधित शिकायतों का समाधान करना भी होगा। इस गाइडलाइन के अनुसार, हर संस्थान को ईओसी के तहत एक समता समिति बनानी होगी, जिसका अध्यक्षता संस्थान का प्रमुख होगा । समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति और महिला का प्रतिनिधित्व जरूरी होगा , ताकि समावेशी निर्णय-प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।

सामान्य वर्ग की आशंका की वजह है, पहले से लागू एससी और एसटी कानून, जिसके गलत इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। उसके तहत बिना वजह झूठे आरोपों के चलते सामान्य जीवन ही नहीं, बल्कि सरकारी

> इस मामले में जारी विवादों पर चर्चा से पहले नए नियमों को भी देख लेना चाहिए। नए नियमों में भेदभाव को पूरी तरह अनुचित, पक्षपाती व्यवहार माना गया है। इसके तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ही नहीं, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान, या विकलांगता जैसे आधार पर भी भेदभाव ग़लत माना गया है।

दफ्तरों तक में सामान्य वर्ग के लोगों के ख़िलाफ़ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं और उन्हें बिना वजह प्रताड़ना और गिरफ्तारी तक झेलनी पड़ी है। उसी आलोक में यूजीसी के इस नए नियम का विरोध हो रहा है ।आलोचकों का मानना है कि इस नियम के मुताबिक़ जो इक्विटी कमेटियां' यानी समानता समितियां बनेंगी, वे शायद ही निष्पक्ष रहे। यह भी कहा जा रहा है कि समानता समितियों को इस नियम के तहत जो शक्तियां दी गई गई हैं, उन्हें सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। विरोध कर रहे छात्रों का यह भी कहना है कि अगर कोई गलत शिकायत दर्ज करता है, तो उसे सजा देने का प्रावधान नहीं है, इससे सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए असुरक्षित माहौल बन सकता है।

सामान्य वर्ग के बड़ा तबका इस नियम के दुरूपयोग को लेकर आशंकित हो उठा है। इसी आशंका ने वह विक्षुब्ध हो चुका है। उसका मानना है कि ये नियम शिक्षा सुधार के बजाय परिसरों में ना सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देगा, बल्कि सामाजिक विभाजन को भी बढ़ावा मिलेगा। इन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संस्थानों को दंडित किया जा सकता है, जिसके तहत उनकी फंडिंग रोकी जा सकती है, उनका डिग्री देने का अधिकार छीना जा सकता है और गंभीर उल्लंघन की स्थिति में उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है।

हालांकि यूजीसी का कहना है कि यह ताजा नियम साल 2012 के उसके भेदभाव-विरोधी ढांचे की व्यवस्था को ही मजबूत करते हैं। यूजीसी का तर्क है कि उसने ये नियम उस आंकड़े के बाद लागू किए हैं, जिनके तहत पता चलता है कि उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 2019 की तुलना में 2023 में 118.4 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। वैसे हकीकत यह भी है कि यह निर्णय हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला की आत्महत्या की 10वीं वर्षगांठ और सर्वोच्च न्यायालय के 2025 के निर्देश के बाद आया है। चूंकि रोहित वेमुला केस को लेकर उस वक्त देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कैंपस का राजनीतिक तापमान बढ़ गया था। तब इस आत्महत्या को बीजेपी विरोधी राजनीतिक ताकतों ने बीजेपी पर हमले के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था तो बीजेपी समर्थकों का मानना था कि इस मामले को बेवजह भेदभाव की राजनीति का रूप दिया गया था। तब सामान्य वर्ग के छात्रों और वोटरों ने इस मुद्दे पर बीजेपी का खुलकर साथ दिया था। इसी वजह से उसे लगता है कि यूजीसी के नए नियमों से ना सिर्फ उसकी उपेक्षा हो रही है, बल्कि उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। एससी-एसटी उत्पीड़न के कानून को चाहे जितना भी समानता लाने वाला माना जाता हो, लेकिन जिस तरह उसके फर्जी इस्तेमाल की घटनाएं बढ़ी हैं, और उसके जरिए जिस तरह सामान्य वर्ग के उत्पीड़न के वाकये बढ़े हैं, उससे सामान्य वर्ग इस कानून का घोर विरोधी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के बावजूद नौकरियों और पढ़ाई में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर क्षोभ और असंतोष अब भी सामान्य वर्ग में व्याप्त है। इन्हीं संदर्भों में यूजीसी के नए नियमों को लेकर आशंकाएं सामान्य वर्ग में बढ़ी है।

हिन्दुओं को विभाजित करके अपनी राजनीति साधने के प्रयास में विपक्ष

इन दिनों विपक्ष उत्तर प्रदेश में दो घटनाओं के माध्यम से अपनी राजनीति साधने के प्रयास में है। पहली घटना वाराणसी के मर्णिकर्णिका घाट के नवीनीकरण के लिए पुरानी प्रतिमाओं तथा कुछ छोटे मंदिरो पर बुलडोजर चलाने की थी जो बाद में फर्जी निकली। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के उपरान्त एआई वीडियो के आधार पर मंदिर तोड़े जाने की अफवाहें फैलाकर राजनैतिक रोटियां सेंकने वाले लोगों जिनमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तथा बिहार के सांसद पप्पू यादव शामिल हैं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद भी इस विषय पर स्थानीय स्तर पर राजनीति की जा रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर पाल समाज को भड़काकर धरना प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन कर रही है। इस मुद्दे पर सपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा भारतीय जनता पार्टी की छवि को आघात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का जमकर प्रयोग कर रही है। दूसरी घटना प्रयागराज में चल रहे माघ मेले की है जो विवादों में रहने वाले एक शंकराचार्य के तथाकथित अपमान से जुड़ी है। प्रयागराज में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला माघ मेला सफलतापूर्वक चल रहा था उसमें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मेला प्रशासन के नियमों को धता बताते हुए पालकी (बग्घी) में बैठकर अपने भक्तों के साथ संगम नोज पर पहुँचने के लिए अड़ गए। पुलिस बल ने उनको बग्घी न ले जाने का निवेदन किया। उनके भक्तों और पुलिस के बीच विवाद हुआ और उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद जमकर उपद्रव हो गया।

अंततः शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ और समाजवादी पार्टी और अन्य विरोधी दलों ने मामले को तुरंत ही अपनी राजनीति चमकाने के लिए लपक लिया। विभिन्न राजनैतिक दल इस मुद्दे को जिस तरह उठा रहे हैं उससे यह स्पष्ट है कि उनको शंकराचार्य या सनातन के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है उनका एकमात्र उद्देश्य इस मुद्दे पर हिन्दू मतों का विभाजन करना है। यह भी संभव है कि इस प्रकरण की पटकथा किसी राजनैतिक दल ने ही लिखी हो जो आजकल अविमुक्तेश्वरानंद के निकट दिखाई दे रहा है।

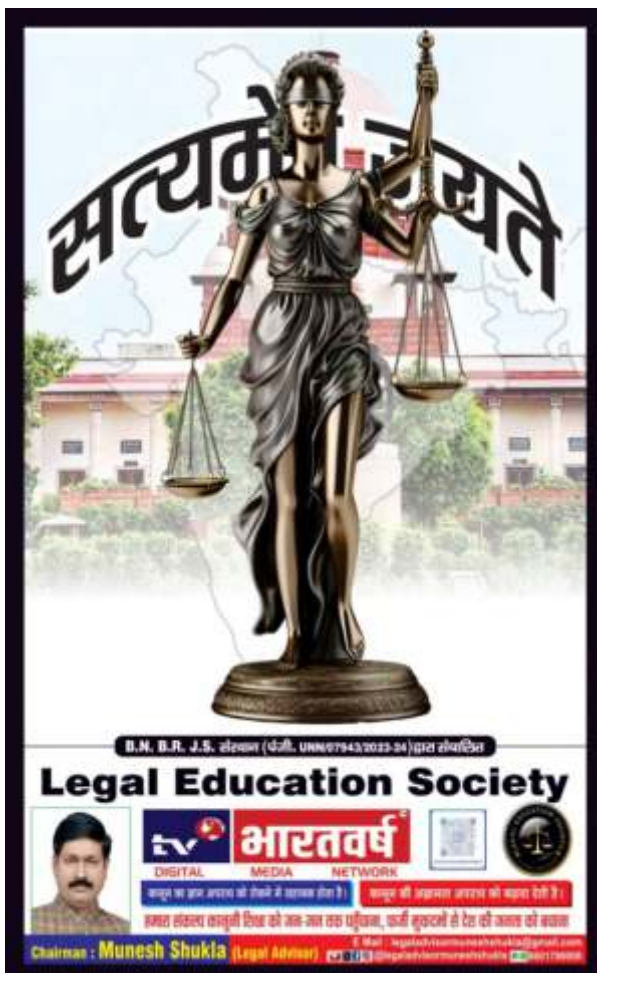

अगले आदेश तक लागू रहेगा यूजीसी विनियम 2012शिक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर-की

यूजीसी विनियम, 2012 उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव सहित समानता और भेदभाव-विरोधी ढांचा बनाने का पहला औपचारिक प्रयास था। नए नियमों (यूजीसी विनियम, 2026) में सतही तौर पर कई मूलभूत विचार वही रहते हैं, लेकिन अब इसका दायरा व्यापक कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी विनियम, 2026 पर रोक लगा दी है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि अगले आदेश तक 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। गौरतलब है कि नए नियम 2012 वाले नियमों को स्थान लेते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि पहले से नियम मौजूद थे तो नए नियम लाने की क्या जरूरत पड़ी? नए नियमों में क्या अलग है? यूजीसी ने वर्ष 2012 में ये विनियम इसलिए बनाए थे ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र और दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव से सुरक्षा दी जा सके। इन नियमों का मुख्य फोकस छात्रों के अधिकारों और उनके साथ होने वाले व्यवहार पर था। खास तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के संरक्षण को इसमें प्रमुख स्थान दिया गया।

2012 के विनियमों में भेदभाव को बहुत व्यावहारिक और ठोस उदाहरणों के साथ परिभाषित किया गया था। इसमें प्रवेश प्रक्रिया से लेकर कक्षा, परीक्षा, मूल्यांकन, छात्रवृत्ति और कैंपस सुविधाओं तक के मामलों को शामिल किया गया। यह सब भेदभाव की श्रेणी में माने गए:

कक्षा में जाति का उल्लेख करना

छात्रों को रिजर्व कैटेगरी कहकर चिन्हित करना

लैब या लाइब्रेरी में अलग व्यवहार करना

भेदभाव-विरोधी अधिकारी नियुक्त करें

समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना करें

प्रवेश, मूल्यांकन, छात्रावास, कक्षाओं और छात्रवृत्ति में जाति, लिंग, विकलांगता, धर्म, भाषा और जातीयता के आधार पर भेदभाव या उत्पीड़न को रोकें।

भेदभाव संबंधी शिकायतों का निपटारा 60 दिनों के भीतर करें।

2012 के नियमों के तहत हर संस्थान में ईक्वल ऑपर्च्यूनिटी सेल (Equal Opportunity Cell) और एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर (Anti-Discrimination Officer) की नियुक्ति अनिवार्य की गई थी। छात्र या अभिभावक लिखित शिकायत कर सकते थे। शिकायत पर कार्रवाई की जिम्मेदारी संस्थान की थी और अपील का अधिकार संस्थान प्रमुख के पास होता था। आसान भाषा में कहें तो पुराने नियम भेदभाव की घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए नए नियम लाए गए। नए नियमों में सतही तौर पर कई मूलभूत विचार वही रहते हैं, लेकिन अब इसका दायरा व्यापक कर दिया गया है। कैंपस में पहले से ज्यादा कमजोर या संवेदनशील वर्गों को शामिल किया गया है और नियमों को लागू करने के तरीके भी अब सख्त और समय-सीमित (टाइम-बाउंड) हो गए हैं।

पीवी सिंधु को जिंदगी भर रहेगा इस बात का मलाल, इस बात से हुई थीं प्रभावित

भारत की स्टार बैटमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर शोक जताया है। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट ने बताया कि उन्हें इस बात का मलाल है कि वह एनसीपी प्रमुख के कई बार बुलावे के बावजूद बारामती नहीं गईं। बता दें कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनावों के बीच, डिप्टी सीएम अजित पवार बुधवार को एक जनसभा में शामिल होने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। इसी दौरान एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया। घटना सुबह करीब 9 बजे हुई। इस हादसे में एनसीपी प्रमुख समेत 5 लोगों की जान चली गई। पीवी सिंधु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "रेस्ट इन पीस, अजित दादा। मुझे आपसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला, और हर बार मैं आपके अनुशासन, आपके काम के प्रति समर्पण और अपने लोगों के प्रति आपके प्यार से प्रभावित हुई। आपने मुझसे अक्सर कहा था, 'मेरे बारामती आओ।' मैं सोचती रही कि कभी समय मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से न आने का पछतावा होगा।"

10 साल पूरा होने के बाद ये कैसी शुरुआत? हार्दिक पंड्या ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

क्रिकेट पर रोक, शूटिंग पर छूट: भारत दौरे पर बांग्लादेश का बदला रुख

आगामी एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बांग्लादेश का एक शूटिंग प्रतिनिधिमंडल भारत जा रहा है। बांग्लादेश शूटिंग फेडरेशन के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि यह प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छोटा समूह है। बांग्लादेश शूटिंग फेडरेशन की महासचिव अलेया फरदौसी ने एएनआई को फोन पर बताया कि बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल में एक शूटर और एक कोच शामिल हैं। शूटर का नाम रोबिउल इस्लाम और कोच का नाम शर्मिन अख्तर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उन्हें भारत जाने और प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दे दी है। फरदौसी ने आगे बताया कि बांग्लादेशी शूटिंग प्रतिनिधिमंडल 31 जनवरी को भारत के लिए रवाना होगा। इससे पहले, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को टी20 विश्व कप के लिए भारत जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, अब प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शिकार प्रतिनिधिमंडल को

भारत जाने की अनुमति दे दी है।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) द्वारा सुरक्षा चिंताओं के कारण अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार करने के बाद आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टी20 विश्व कप में शामिल किया। स्कॉटलैंड की कप्तानी रिची बेरिंगटन करेंगे और वह पहले टी20 विश्व कप के नौ संस्करणों में से छह में भाग ले चुकी है (2007, 2009, 2016, 2021, 2022, 2024)। स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में रखा गया है और उसका सामना इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्ट इंडीज से होगा। उनका पहला मैच 7 फरवरी को ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज के खिलाफ होगा।

टी20 वर्ल्ड कप के पहले बड़ा झटका, मैच फिक्सिंग में फंसा यह स्टार खिलाड़ी, ICC ने लगाया बैन

आईसीसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "आईसीसी ने यूएसए के खिलाड़ी आरोन जोन्स पर क्रिकेट वेस्टइंडीज़ (CWI) और आईसीसी के एंटी-करप्शन कोड के तहत पांच अलग-अलग उल्लंघनों के आरोप लगाए हैं। ये आरोप मुख्य रूप से 2023-24 में हुई BIM10 टूर्नामेंट से जुड़े हैं, जो CWI एंटी-करप्शन कोड के दायरे में आता है। इसके अलावा दो अन्य आरोप अंतरराष्ट्रीय मैचों से संबंधित हैं, जो ICC के एंटी-करप्शन कोड के अंतर्गत आते हैं।

आरोन जोन्स को तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के क्रिकेट से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और उन्हें 28 जनवरी 2026 से 14 दिनों के भीतर इन आरोपों पर अपना जवाब दाखिल करना होगा।" आईसीसी ने आगे कहा, "ये आरोप एक व्यापक जांच का हिस्सा हैं, जिसके तहत आने वाले समय में अन्य प्रतिभागियों के खिलाफ भी अतिरिक्त आरोप लगाए जा सकते हैं।" 31 वर्षीय न्यूयॉर्क में जन्मे आरोन जोन्स ने अब तक अमेरिका के लिए 52 वनडे और 48 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। उन्होंने आख़िरी बार अप्रैल 2025 में अमेरिकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। क्रिकेट वेस्ट इंडीज कोड की धारा 2.1.1 का उल्लंघन- 2023-24 में बिम10 टूर्नामेंट में मैचों के नतीजे, खेल के आगे बढ़ने में फिक्सिंग, फिक्स करने की योजना या गलत तरीके से प्रभावित करना या किसी समझौते का हिस्सा होना। क्रिकेट वेस्ट इंडीज कोड की धारा 2.4.2 का उल्लंघन- किसी भी ऐसी गतिविधि की जानकारी क्रिकेट वेस्ट इंडीज को नहीं देना जिससे कि उसके नियमों का उल्लंघन होता है। क्रिकेट वेस्ट इंडीज कोड की धारा 2.4.4 का उल्लंघन- क्रिकेट वेस्ट के कोड के तहत आने वाले अपराधों को लेकर एंटी करप्शन अधिकारियों के साथ जांच में मदद नहीं करना या मदद से इनकार करना।

टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ी राहत वॉशिंगटन सुंदर की नेट पर वापसी

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर Washington Sundar को लेकर क्रिकेट फैंस के लिए एक मिली-जुली खबर सामने आ रही है. बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' से जो ताजा अपडेट मिला है, उसके मुताबिक सुंदर ने नेट पर दोबारा बल्लेबाजी शुरू कर दी है. चोट के बाद मैदान पर उनकी यह वापसी राहत देने वाली तो है, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है. सुंदर पिछले कुछ समय से पसली की तकलीफ से जूझ रहे हैं. शुरुआत में इसे महज मांसपेशियों में खिंचाव माना जा रहा था, लेकिन बाद की जांच में एक हल्का फ्रैक्चर भी निकलकर सामने आया है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने मशहूर डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला से भी मशविरा लिया है. हालांकि उन्होंने बल्ला तो थाम लिया है, लेकिन नेट प्रैक्टिस के दौरान उन्हें अभी भी पसली के हिस्से में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है. ऐसे में मेडिकल टीम कोई

जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है. फरवरी के पहले हफ्ते में उनका एक फुल चेकअप होना है, जिसके बाद ही तय होगा कि वह 'रिटर्न टू प्ले' प्रोटोकॉल के तहत मैच खेलने के लिए फिट हैं या नहीं. भारतीय टीम के नजरिए से देखें तो चिंता की बात यह है कि 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में सुंदर का खेलना लगभग नामुमकिन लग रहा है. बोर्ड और टीम मैनेजमेंट फिलहाल 'वेट एंड वॉच' की रणनीति अपना रहे हैं. मैनेजमेंट का मानना है कि सुंदर जैसे मैच-विनर खिलाड़ी के लिए थोड़ा इंतजार करना बेहतर है, बजाय इसके कि उन्हें आधी-अधूरी फिटनेस के साथ मैदान पर उतारा जाए.

2007 का कार्टून वायरल, वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले की पहले ही कही थी बात

संयोग या सियासी पैटर्न?

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पुराना कार्टून तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे साल 2007 का बताया जा रहा है. इस कार्टून में भविष्य में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का संकेत दिया गया था.

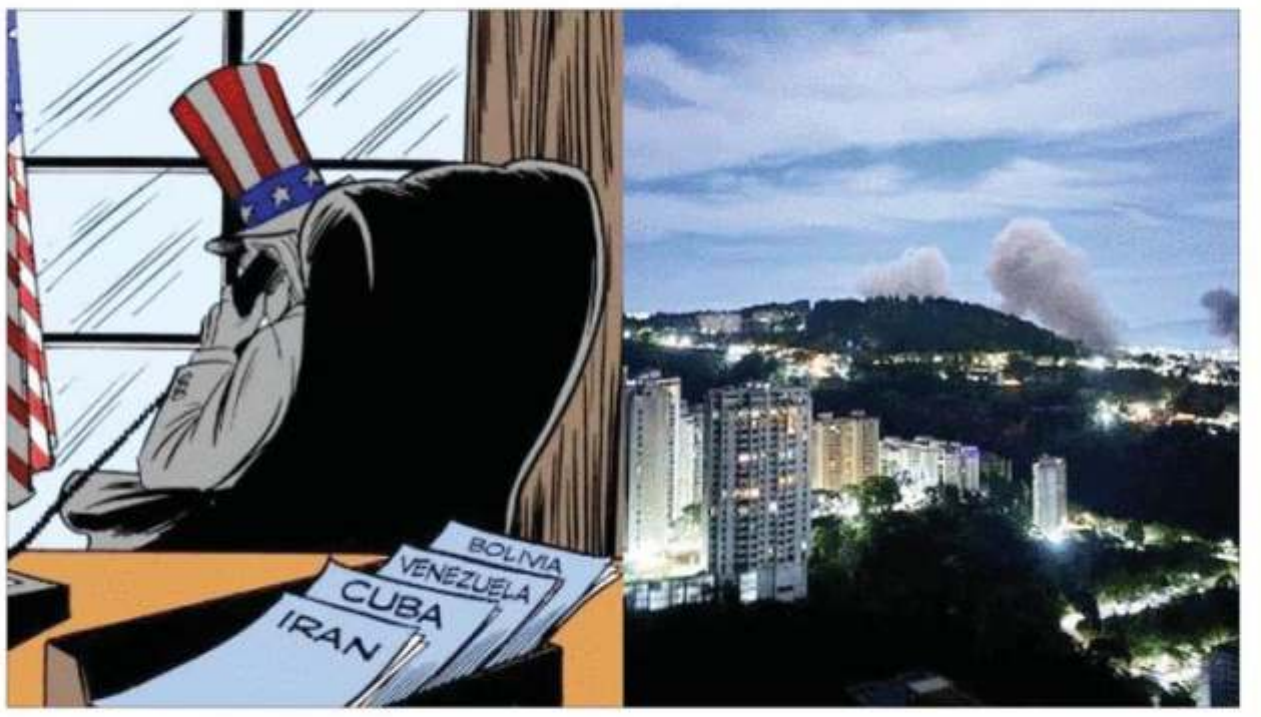

इस कार्टून का नाम क्राइम्स इन प्रोग्रेस था. (Photo:X/@LatuffCartoons)

करीब 20 साल पहले बना एक राजनीतिक कार्टून आज अचानक दुनिया की बड़ी खबर से जुड़ता दिख रहा है. सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले का अंदाजा इतने साल पहले लगाया जा सकता था.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक पुराना कार्टून इसी ओर इशारा करता है. यह कार्टून साल 2007 में ब्राजील के मशहूर राजनीतिक कार्टूनिस्ट कार्लोस लातुफ ने बनाया था, जिसे अब लोग अमेरिका के एक्शन से जोड़कर देख रहे हैं. इस कार्टून का नाम था क्राइम्स इन प्रोग्रेस. उस वक्त इसे अमेरिका की विदेश नीति पर तंज माना गया था. लेकिन आज इसकी चर्चा बिल्कुल अलग वजह से हो रही है. अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद लोग कह रहे हैं कि यह कार्टून किसी चेतावनी जैसा था.

व्लॉगर ने दिखाया इटली का 'देसी' नज़ारा

इटली का नाम आते ही आंखों के सामने लग्जरी, आर्ट, फैशन और सलीके से सजी सड़कों की तस्वीर उभर आती है. कहा जाता है कि इटली में हर चीज आर्टिस्टिक होती है फिर चाहे इमारतें हों, कैफे हों या लोगों का लाइफस्टाइल. भारत की भीड़-भाड़ वाली गलियों से बिल्कुल उलट, यूरोप के इस देश को हमेशा एक पूरी तरह से व्यवस्थित और साफ-सुथरा समाज माना जाता रहा है,लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे.

एक सदी की विरासत है ये बीयर

साल में 15 दिन बिकती है ये बीयर

मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा बीयर निर्यातिक देश है. इसकी सबसे लोकप्रिय बीयरों में से एक केवल देश के भीतर ही मिलती है और वो भी सिर्फ क्रिसमस के दौरान कुछ साल में कुछ ही हफ्तों या 12-15 दिनों के लिए ही उपलब्ध होती है. बीबीस की रिपोर्ट के मुताबिक, कई देश अपने खास क्रिसमस ड्रिंक्स के लिए जाने जाते हैं.

प्यूर्टो रिको का क्रीमी और मीठा कोकीटो मशहूर है. जर्मनी में मसालेदार और गरमागरम ग्लुह्विन (मल्ड वाइन) मिलती है. वहीं मैक्सिको में माल्ट से बनी बॉक-स्टाइल की बीयर पीने का रिवाज है. मैक्सिको में क्रिसमस की छुट्टियों में ही ये खास बीयर उपलब्ध होती है. इसका नाम ' नोचे बुएना' है. इसका मतलब होता है - 'पवित्र रात' या 'क्रिसमस की पूर्व संध्या'. यह लोकप्रिय बीयर पारंपरिक रूप से छुट्टियों से कुछ ही हफ़्ते पहले बिकनी शुरू होती है. इसके अलावा पूरे साल ये उपलब्ध नहीं होती है.

क्रिसमस पर भी यह सिर्फ मैक्सिको में उपलब्ध होती है. हर सर्दियों में मेरिडा से लेकर मॉन्टेरी और मैक्सिको सिटी तक, जब गहरे लाल रंग के नोचे बुएना के डिब्बे सुपरमार्केट्स में दिखाई देने लगते हैं, तो यह छुट्टियों की अनौपचारिक शुरुआत मानी जाती है. इस बीयर के दिखने का मतलब है मैक्सिको में क्रिसमस की छुट्टी शुरू हो चुकी है.

वज़न घटाने के लिए जेल जैसी जिंदगी बिता रहे लोग!

चीन में वजन घटाने का एक ऐसा ट्रेंड सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स तक को चौंका दिया है. यहां प्लस-साइज लोगों के लिए बनाए गए वेट-लॉस कैंप्स को लोग 'Fat Prison' कह रहे हैं. वजह साफ है. यहां रहने वालों को एक महीने तक लगभग कैद जैसी जिंदगी जीनी पड़ती है. दिन के 12 घंटे कड़ी एक्सरसाइज, बेहद सीमित खाना और कैंप से बाहर जाने की पूरी मनाही. इन कैंप्स का मकसद है कम वक्त में तेजी से वजन घटाना. हालांकि, डॉक्टर और एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह का अचानक और अस्थिर वजन कम होना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. इसके बावजूद, हर साल सैकड़ों लोग यहां दाखिला ले रहे हैं.

क्योंकि उन्हें जल्दी रिज़ल्ट चाहिए. इस ट्रेंड को और ज्यादा चर्चा में ला दिया एक ऑस्ट्रेलियन इन्फ्लुएंसर eggeats ने. इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे उनके वीडियो में 'Fat Prison' के अंदर की सख्त दिनचर्या साफ नजर आती है. 28 साल की यह इन्फ्लुएंसर बताती हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक हाई-पेयिंग नौकरी छोड़ दी थी. क्योंकि वह खुद को जिंदगी में अटका हुआ महसूस कर रही थीं.

मर्डर मिस्ट्री में नया ट्विस्ट: बरुण सोबती के साथ मोना सिंह की जबरदस्त वापसी

नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित और समीक्षकों द्वारा सराही गई इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर 'कोहरा' (Kohrra) अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी कर रही है। हाल ही में रिलीज हुए 'कोहरा 2' के ट्रेलर ने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है। इस बार कहानी जगराना से निकलकर दलेरपुरा के खलिहानों में पहुंच गई है, जहाँ रहस्यों की परतें पहले से कहीं ज्यादा गहरी और इमोशनल होने वाली हैं। नए सीज़न के केंद्र में पूजा भमर्रा द्वारा निभाई गई एक महिला की हत्या है, जिसका शव उसके भाई के खलिहान में मिलता है, जिससे पूरा शहर शक और छिपे हुए सच के जाल में फंस जाता है। सीजन 2 की कहानी एक महिला (पूजा भमर्रा) की हत्या के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका शव उसके अपने ही भाई के खलिहान में मिलता है। यह हत्या पूरे शहर को शक के घेरे में खड़ा कर देती है।

कोहरा सीज़न 2 में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर अमरपाल गरूंडी की वापसी हुई है, जिसे एक बार फिर बरुण सोबती ने निभाया है, लेकिन इस बार एक अनजान इलाके में। गरूंडी जगराना में अपनी जड़ों से दूर चला गया है और एक नई कमांडिंग ऑफिसर, सब-इंस्पेक्टर धनवंत कौर, जिसका किरदार मोना सिंह ने निभाया है, के तहत नई शुरुआत करता है। जैसे-जैसे दोनों अधिकारी मामले की गहराई में जाते हैं, जांच न केवल शहर के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर देती है, बल्कि उनकी अपनी पर्सनल कमजोरियों को भी। जैसे-जैसे आधिकारिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं, संदिग्धों की सूची लगातार बढ़ती जाती है, जिसमें पीड़ित महिला का पति भी शामिल है, जिसका किरदार रणविजय सिंघा ने निभाया है, जबकि उसका भाई, जिसका किरदार अनुराग अरोड़ा ने निभाया है, खुद को मामले में और गहराई से फंसा हुआ पाता है। ट्रेलर सीज़न के लिए माहौल तैयार करता है, जो एक परेशान करने वाली लेकिन दिलचस्प कहानी का वादा करता है। बरुण सोबती, जो अमरपाल गरूंडी की भूमिका निभा रहे हैं, ने शेयर किया, "गरूंडी इस सीज़न में नई शुरुआत करने की उम्मीद के साथ शुरू करता है, लेकिन कोहरा जैसी दुनिया में, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। इस बार रहस्य ज़्यादा घना और ज़्यादा परतदार है, और यह जटिलता गरूंडी की अपनी यात्रा में भी झलकती है। वह ज़्यादा आत्मनिरीक्षण करने वाला, ज़्यादा सतर्क है, और लगातार अपने फैसलों के साथ तालमेल बिठा रहा है। यह एक ऐसा रोल था जिसमें संयम की ज़रूरत थी, और मैं सुदीप सर और टीम की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मैं दर्शकों के कोहरा की बड़ी, शांत और इंटेंस दुनिया में उसके सफ़र को देखने का इंतज़ार कर रही हूँ।"

‘शक्ति संवाद’ से महिला-नेतृत्व वाले भारत का संकल्प

सीएम रेखा गुप्ता ने रखा सशक्तिकरण का रोडमैप

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में राष्ट्रीय महिला आयोग के 'शक्ति संवाद' कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार भारत मंडपम में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) द्वारा आयोजित ‘शक्ति संवाद: दो दिवसीय क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण’ कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों से आई महिला आयोगों की अध्यक्षों, सदस्यों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका पर विस्तार से अपने विचार रखे। इस अवसर पर एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन विजया रहाटकर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव बी. राधिका चक्रवर्ती समेत आयोग की अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के उद्देश्य लीगल अवेयरनेस, ग्रीवेंस रिड्रेसल, पॉलिसी कंसल्टेशन और क्षमता निर्माण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास देश की करोड़ों बेटियों में साहस और आत्मविश्वास जगाने का माध्यम बनेंगे। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, उनका आर्थिक सशक्तिकरण और निर्णय व नेतृत्व में उनकी सहभागिता जैसी तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर सामूहिक रूप से कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उठाए गए ठोस कदमों का उल्लेख करते हुए बताया कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते सुरक्षा मानकों का पालन हो। कामकाजी महिलाओं, विशेषकर श्रमिक बहनों के बच्चों के लिए 500 ‘पालना केंद्र’ स्थापित किए गए हैं, ताकि वे निश्चिंत होकर काम कर सकें। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को 10 करोड़ रुपये तक का बिना गारंटी वाला लोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिससे वे अपना बिजनेस शुरू कर सकें। सुरक्षा के क्षेत्र में 10,000 अत्याधुनिक कैमरे और एक लाख स्मार्ट सेंसर्ड एलईडी लाइटें लगाई जा रही हैं। न्याय की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 53 नए न्यायिक पदों को स्वीकृति देकर फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘शक्ति संवाद’ केवल थीम नहीं, बल्कि महिलाओं की सामूहिक शक्ति और आपसी संवाद से भविष्य का मार्ग तय करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत आज महिला सशक्तिकरण से आगे बढ़कर वुमन-लेड गवर्नेंस और वुमन-लेड डिसीजन मेकिंग के दौर में प्रवेश कर चुका है।

दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, विवेक विहार में दिनदहाड़े चाकू मारने की धमकी देकर लूट

राजधानी दिल्ली में बदमाशों और स्नैचर्स के हौसले इतने बुलंद है कि वो दिनदहाड़े लूटपाट और किसी की हत्या करने से भी नहीं डर रहे। ठीक ऐसे ही विवेक विहार के ज्वाला नगर इलाके में दिनदहाड़े एक युवक से लूटपाट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक बदमाश ने चाकू मारने की धमकी देकर उससे फोन लूट लिया। विवेक विहार पुलिस ने पीड़ित के बयान पर लूटपाट का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, 21 वर्षीय पीड़ित गगन सोलंकी शाहदरा के डूंगर मोहल्ले में रहते हैं। वह जोमैटो में डिलिवरी बॉय का काम करते हैं। कल दोपहर करीब 3:40 बजे वह दिलशाद गार्ड से वापस घर लौट रहे थे। इस बीच ज्वाला नगर श्मशान घाट के सामने पहुंचे ही थे कि किसी ने अचानक उनकी जैकेट का कॉलर पकड़ लिया। सोलंकी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक मोटे से लड़के ने उन्हें पकड़ा हुआ था। आरोप है कि उसने कहा कि अपना मोबाइल दे दे, नहीं तो चाकू मार दूं। पीड़ित घबरा गए और उन्होंने अपना फोन आरोपी को दे दिया। इसके बाद पीड़ित ने घर पहुंचकर मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित का बयान दर्ज किया। मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि लूटपाट का विरोध करने पर जानलेवा हमली करने का यह कोई पहला मामला नहीं है।

दिल्ली मेट्रो में नहीं मिल रहा नया स्मार्ट कार्ड? अब DMRC ने दिया ये जवाब

दिल्ली मेट्रो में नए स्मार्ट कार्ड को लेकर पिछले लंबे समय से यात्री परेशान हैं। इस बारे में अब कई शिकायतें भी आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यात्रियों ने दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों के काउंटर पर नए मेट्रो कार्ड न मिलने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। यात्रियों की इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए DMRC ने अब बयान जारी किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक यात्री ने सवाल उठाते हुए DMRC से सवाल पूछा कि बल्लभगढ़ और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन पर नया मेट्रो कार्ड क्यों नहीं मिल रहा है। वहीं एक अन्य यूजर ने शिकायत करते हुए कहा, कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर जब उन्होंने कार्ड मांगा तो उन्हें एयरटेल वाला कार्ड खरीदने को कहा गया। इसके बाद चावड़ी बाजार और बदरपुर मेट्रो स्टेशन पर भी स्थिति रही। वहां पर जवाब मिला की ये वाला कार्ड बंद हो गया है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों की शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह बदलाव भारत सरकार की नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) पहल के तहत की जा रही है। जिसके तहत लक्ष्य है कि सभी यात्री NCMC कार्ड का इस्तेमाल करें, ताकि अलग-अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रिटेल ट्रांजैक्शन में एक ही कार्ड काम करे। DMRC ने सभी बैंकों के NCMC कार्ड DMRC नेटवर्क और एयरपोर्ट लाइन में मान्य हैं। डीएमआरसी ने कहा, कि पुराने स्मार्ट कार्ड अभी फिलहाल सभी मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध हैं।

दिल्ली में खाद्य सुरक्षा नियम 2025 लागू, अब जिले की आबादी से तय होगा राशन कार्ड का कोटा

दिल्ली में अब 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर राशन कार्ड नहीं बनेगा। दिल्ली में जरूरतमंद लोगों के राशन कार्ड बनवाने के लिए जिला स्तर पर कमिटी का गठन किया जाएगा। साथ ही, जिले की आबादी के हिसाब से इसका कोटा भी तय होगा। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट मंजूरी के बाद दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम-2025 लागू कर दिया है। नए नियम में अब शिकायत निवारण के लिए अलग-अलग स्तर पर तीन स्तरीय कमिटी का गठन भी किया जाएगा। वर्तमान में दिल्ली में जिले के हिसाब से कोई कोटा तय नहीं होता था। पहले आवेदन करने वालों को न्यूनतम पात्रता पूरा करने पर कार्ड जारी कर दिया जाता था। मगर सरकार ने अब जनगणना होने तक जिले में आबादी के हिसाब से कोटा तय करने का फैसला किया है। उसके बाद डीएम की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन होगा, जो आवेदनों की जांच करेगी कि किसे राशन कार्ड की ज्यादा जरूरत है।

रिश्वतखोर ASI को होगी ढाई साल की जेल, 30 साल पुराने केस में हाईकोर्ट सख्त, निचली अदालत को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट में एक 30 साल पुराने भ्रष्टाचार के केस पर सुनवाई हुई। इस केस में दिल्ली के ASI बलदेव सिंह पर रिश्वत के आरोप लगे हैं। इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। उन्होंने इस मामले की सुनवाई के दौरान निचली अदालत को तय नियमों का पालन न करने पर फटकार लगाई। इस दौरान बलदेव सिंह की ओर से कोर्ट में कुछ दलीलें भी पेश की गईं, जिन पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। बता दें कि बलदेव सिंह को अगस्त 2001 में एक विशेष न्यायाधीश ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 13(1)(डी) के साथ धारा 13(2) के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।

दिल्ली में निगम पार्षदों को अब सालाना मिलेंगे 2 करोड़ रुपये, जान लीजिए किन कामों में होंगे खर्च

MCD के सभी पार्षदों को अब अपने-अपने इलाकों में विकास कार्यों के लिए 2-2 करोड़ रुपये का बजट देने की तैयारी की जा रही है। स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन सत्या शर्मा ने बुधवार को सदन की स्पेशल बैठक में साल 2025-26 के संशोधित बजट अनुमान और साल 2026-27 के बजट अनुमानों को लेकर वक्तव्य पेश किया। अपने बजट भाषण में हर निगम पार्षद को सालाना दो करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।

पहले पार्षदों को मिलता था कम फंड

पार्षद इस बजट का इस्तेमाल इलाके में विकास कार्यों पर कर सकेंगे। बजट में मेयर और स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन के फंड में भी वृद्धि करने की बात कही है। इस समय निगम पार्षदों की संख्या 250 है। MCD का एकीकरण होने के बाद साल 2022 से पार्षदों को फंड नहीं मिल पा रहा था। हर साल पार्षदों को मुश्किल से 25-40 लाख तक का ही

फंड मिल पा रहा था। इस वजह से कॉलोनियों में विकास कार्य ठप थे। पार्षद हर बैठक में फंड की डिमांड करते आ रहे थे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। पार्षद फंड की धनराशि चार किश्तों में जारी की जाएगी। प्रत्येक तिमाही शुरू होने के 10 दिन के अंदर किश्त जारी कर दी जाएगी। बजट में हर पार्षद को एक डेटा एंट्री ऑपरेटर देने का भी प्रावधान किया गया है। मेयर फंड को 12 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ और स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन के फंड को भी 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

UGC के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव सहित यूपी के नेताओं ने क्या कहा?

लखनऊ। पिछले कई दिनों से जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यूजीसी ने नए नियमों का दुरुपयोग होने की आशंका है। मामले में केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए 19 मार्च तक जवाब मांगा गया है। यूजीसी नियमों के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर अगली सुनवाई भी 19 मार्च को ही होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। यूजीसी की गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया तो राम मंदिर बन गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी फैसला खुशी की बात है। वहीं, यूपी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा, 'जिस दिन से यूजीसी के नियम लागू हुए हैं, मैं उसी दिन से एक ही बात कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, अगर आपको लगता है कि कानून में कुछ गड़बड़ है, तो आप वहां जाइए। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो उसके ऊपर कौन उंगली उठा सकता है। राज्य और केंद्र की सरकार संविधान का पालन कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि अगर किसी को आपत्ति है तो कमेटी बनाई जाएगी और जहां संभव होगा, संशोधन किया जाएगा।

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्वीट कर लिखा, 'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी। बात सिर्फ नियम नहीं, नीयत की भी होती है। न किसी का उत्पीड़न हो, न किसी के साथ अन्याय। न किसी पर जुल्म-ज्यादती हो, न किसी के साथ नाइंसाफी।' उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, कानून को खारिज नहीं किया है। हम शुरुआत से कह रहे हैं कि कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए, ये नियम होना चाहिए। कई कानूनों का काफी दुरुपयोग हुआ है, इसलिए सवर्ण समाज के बच्चों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए।

मायावती ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा- सभी पक्षों को विश्वास में लेना चाहिए था

बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए लाए गए नियमों में रोक लगाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इन नियमों से देश में सामाजिक तनाव पैदा हो गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आज लिया गया निर्णय उचित है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इन नियमों को लागू करते समय सभी पक्षों को विश्वास में लिया होता तो इस तरह का तनाव नहीं पैदा होता। एक्स पर दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी द्वारा देश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों मे जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नये नियम लागू किये गये हैं, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है। ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुये माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नये नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित है। देश में, इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नये नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी आदि में भी अपरकास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अन्तर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) विनियम, 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नए नियमों पर रोक लगा दी है। मामले में केंद्र सरकार को नोटिस दे दिया गया है और अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

दो हफ्ते घर पर पड़े रहे बीमार, बीएचयू प्रशासन ने नहीं ली सुध, डॉ. टीके लाहिड़ी की हालत अब कैसी है?

अपने सेवा भाव की वजह से बीएचयू की पहचान बन चुके पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर टीके लाहिड़ी के प्रति रुखे रवैये ने बीएचयू प्रशासन की पोल खोल दी। रिटायरमेंट के बाद भी रोजाना 2 किमी पैदल बीएचयू के ओपीडी में सेवा देने वाले डॉक्टर टीके लाहिड़ी के प्रति बीएचयू प्रशासन के व्यवहार से से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है।

सादगी, सरलता अनुशासन और सेवा के पर्याय बीएचयू के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर टीके लाहिड़ी आज खुद अस्पताल में भर्ती हैं। रिटायरमेंट के 23 साल बाद भी बीएचयू में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर टीके लाहिड़ी 15 दिनों तक अपने आवास में बीमार पड़े रहे। उनके बीमार होने की जानकारी उनके एक सहयोगी ने आईएमएस डायरेक्टर को दी, तब जाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आईसीयू में कराए गए भर्ती

जानकारी के अनुसार, डॉक्टर एसएन शंखवार को लाहिरी के करीबी अहमद अली ने सूचना दी कि वे दो हफ्ते से बीमार हैं और उन्हें नित्य क्रिया में भी दिक्कत हो रही है। जानकारी मिलते ही आईएमएस डायरेक्टर एसएन शंखवार ने डॉक्टर टीके लाहिड़ी के नारियां स्थित आवास पर एंबुलेंस भेजा और उन्हें बीएचयू के सुपर स्पेशिलिटी विंग के आईसीयू के बेड नम्बर दो पर शिफ्ट किया। अब टीके लाहिड़ी की स्थिति बेहतर है और फिलहाल अस्पताल में ही हैं।

अपने रत्न की प्रति संवेदनहीनता पर मौन हैं बीएचयू के पदाधिकारी

अपने सेवा भाव की वजह से देश के प्रख्यात डॉक्टर टीके लाहिड़ी के बारे में जैसे ही जानकारी हुई तो लोग सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रिया देने लगे। लोगों का एक ही सवाल था कि रोजाना 2 किमी पैदल चल कर ओपीडी में सेवा देने वाले डॉक्टर के प्रति उनके सहकर्मी ,जूनियर या अस्पताल प्रबंधन ने आखिर उनकी सुध क्यों नही ली? रोज आने वाले डॉक्टर अगर लगातार नहीं आ रहे थे तो किसी सहकर्मी जूनियर या प्रबंधन के पदाधिकारी ने उनके बारे में सुधि क्यों नही ली। इन्ही सवालों के जवाब के लिए जब एनबीटी ऑनलाइन ने आईएमएस डायरेक्टर एसएन शंखवार और सर सुंदर लाल अस्पताल के एमएस केके गुप्ता को फोन किया तो दोनों में से किसी ने फोन रिसीव नहीं किया।

'जहां लोभ नहीं, जहां प्रेम है वही करौली धाम', राधारमण बाबाजी के 142वें जन्मोत्सव पर बोले स्वामी चक्रपाणि

कानपुर: भारतीय सनातन तंत्र-परंपरा के महान साधक, शिव-शक्ति विज्ञान के मर्मज्ञ और लोककल्याण को जीवन-साधना बनाने वाले ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव पंडित राधारमण मिश्र का 142वां जन्मोत्सव करौली धाम में श्रद्धा, साधना और ऐतिहासिक चेतना के साथ अत्यंत गरिमामय रूप में संपन्न हुआ। यह आयोजन केवल एक महान गुरु की स्मृति का उत्सव नहीं था, बल्कि उस कालजयी गुरु-परंपरा का जीवंत साक्ष्य बना, जिसने तंत्र को भय, अंधविश्वास और आडंबर से मुक्त कर मानव सेवा और चेतनाविज्ञान की उच्चतम परंपरा से जोड़ा।

राधारमण बाबाजी उन विरल साधकों में से थे, जिन्होंने जीवनभर प्रचार, प्रदर्शन और व्यक्तिपूजा से दूरी बनाए रखी। उनका संपूर्ण जीवन तप, संयम, मौन साधना और सहज सेवा का उदाहरण रहा। उन्होंने तंत्र को चमत्कार या डर का माध्यम नहीं, बल्कि चेतना, प्रकृति और स्मृति के संतुलन को समझने की वैज्ञानिक और नैतिक साधना के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके लिए साधना का लक्ष्य सिद्धि नहीं, बल्कि लोककल्याण और मानवीय उत्तरदायित्व था। इस पावन अवसर पर स्वामी चक्रपाणि महाराज मुख्य अतिथि के रूप में विशेष रूप से उपस्थित रहे। करौली शंकर महादेव के घनिष्ठ मित्र एवं वैचारिक सहयात्री माने जाने वाले स्वामी चक्रपाणि महाराज ने अपने उद्बोधन में करौली धाम की आध्यात्मिक महत्ता और गुरु-परंपरा की गहराई को भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि करौली सरकार केवल यहां की सरकार नहीं, ऊपर भी सरकार है। जहां राम का वास हो, वही करौली धाम है। जहां लोभ नहीं, केवल लाभ है, जहां मोह नहीं, बल्कि त्याग और तपस्या है, और जहां क्रोध नहीं, बल्कि प्रेम है वही करौली धाम है। इस अवसर पर करौली धाम एवं मिश्री मठ के मठाधिपति गुरु करौली शंकर महादेव ने अपने गुरुदेव के जीवन-दर्शन को स्मरण करते हुए कहा कि पूज्य बाबाजी ने तंत्र को कभी सत्ता, साधन या प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनाया। उन्होंने इसे मानव कल्याण की जिम्मेदारी के रूप में जिया।

आज करौली धाम में ईश्वरीय चिकित्सा, स्मृति-विज्ञान और आध्यात्मिक अनुसंधान के जो कार्य हो रहे हैं, वे सभी उन्हीं की तपोभूमि और संकल्प का सजीव विस्तार हैं। करौली शंकर महादेव ने भावुक स्वर में कहा कि राधारमण बाबाजी ही उनके सर्वस्व हैं और उनकी सबसे बड़ी विरासत उनका जीवन-दर्शन है, जिसमें सादगी, आत्मसंयम, श्रम और सेवा सर्वोपरि रहे। पूज्य बाबाजी ने साधारण जीवन जीते हुए खेती-किसानी के माध्यम से जीवन-यापन किया, दान-चंदा और मठीय आडंबर से दूरी रखी और बिना किसी औपचारिक दरबार के अपनी साधना को पूर्ण किया।

कोडीन सिरप केस: बस्ती पुलिस ने तस्करी के मास्टरमाइंड को दबोचा, 9 लाख रुपये जब्त किए

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कोडीन सिरप की अवैध सप्लाई के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है। सदर कोतवाली पुलिस ने कोडीन सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड पंकज कुमार को हड़िया चौराहे से गिरफ्तार किया है। आरोपी पंकज कुमार के नाम से गणपति फार्मा नाम की फर्म रजिस्टर्ड थी, जिसके जरिए जिले में बड़े पैमाने पर कोडीन सिरप की सप्लाई की जा रही थी।

पुलिस जांच में सामने आया कि बस्ती जिले की कई मेडिकल दुकानों तक कोडीन सिरप की सप्लाई गणपति फार्मा के माध्यम से की गई थी। यह फर्म रहमतगंज मोहल्ले से संचालित बताई जा रही थी। जब जांच टीम मौके पर पहुंची, तो पाया गया कि गणपति फार्मा नाम की कोई दुकान वहां मौजूद ही नहीं थी।

योगी सरकार 11 फरवरी को पेश करेगी बजट

UP विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बड़े तोहफे मिलेंगे?

यूपी की योगी सरकार 11 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेगी। बताया जा रहा है, इस बजट में आम जनता के लिए बहुत कुछ खास होगा। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होंगे, जिसको योगी सरकार जरूर ध्यान में रखेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की तारीख तय हो गई है। यूपी की योगी सरकार 11 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेगी। बताया जा रहा है, इस बजट में आम जनता के लिए बहुत कुछ खास होगा। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होंगे, जिसको योगी सरकार जरूर ध्यान में रखेगी। वहीं वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विधानसभा बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। सुरेश खन्ना ने बताया कि 2026-27 का वित्तीय बजट 11 फरवरी को पेश होगा। वहीं बजट सत्र की शुरूआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग के बाद सुरेश खन्ना ने मीडिया को अहम जानकारी दी। साथ ही बताया कि 10 फरवरी को दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बता दें कि जनता को योगी सरकार से चुनावी साल में बड़ी उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं के साथ रोजगार के अवसर पर युवा नजर टिकाकर बैठे हैं। ऐसे में चर्चा है कि विधासनभा चुनाव 2027 से पहले यूपी में जनता को अपनी तरफ करने के लिए बड़े तोहफें भी दिए जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़े लाखों कर्मियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि अब प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मी और उनके आश्रित परिवार सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षक दिवस की घोषणा पर कैबिनेट की मुहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा की थी, जिस पर अब कैबिनेट ने औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मी लाभान्वित होंगे। इस योजना पर समग्र रूप से करीब 448 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है।

32 प्रस्तावों में से 30 को मिली स्वीकृति वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेसवार्ता में बताया कि कैबिनेट बैठक में कुल 32 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 30 को मंजूरी दी गई। इनमें शिक्षकों और शिक्षामित्रों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव भी शामिल था। माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मियों को मिलेगा लाभ फैसले के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक (व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों और मानदेय शिक्षकों सहित), संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों के शिक्षक, माध्यमिक शिक्षा परिषद और संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्ववित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षक तथा राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों को आईपीडी (अंत:रोगी विभाग) के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा का लाभ उनके आश्रित परिवार भी उठा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा में 2.97 लाख से अधिक लाभार्थी प्रेसवार्ता में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि सरकार की इस पहल से माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े 2.97 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस पर लगभग 89.25 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है।

UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाए जाने पर कहा, "सभी प्रस्ताव पारित हुए... 9 तारीख से सत्र चलेगा... केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकार आश्वस्त है... प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए एक युग पुरूष हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक किया है। वे डूबती हुई अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाए हैं। उन्होंने एक बार फिर भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है..." बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) रेगुलेशन पर रोक लगा दी है, जिसे 23 जनवरी, 2026 को नोटिफाई किया गया था। इसे कई याचिकाकर्ताओं ने मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के साथ-साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी।

अलंकार अग्निहोत्री को सही समय का था इंतजार? सत्ता के खिलाफ 6 महीनों से पक रही थी बगावत की 'खिचड़ी'!

PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफा देने के बाद से ही सियासी बाजार खासा गर्म नजर आ रहा है। अग्निहोत्री के इस्तीफे को राजनीतिक महत्वाकांक्षा की ओर भी जोड़ा जा रहा है। 6 महीनों से पक रही थी बगावत की 'खिचड़ी'? चर्चा इस बात को लेकर भी है कि सत्ता के खिलाफ बगावत की 'खिचड़ी' 6 महीनों से पकाई जा रही थी। UGC और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले के बाद सही समय देख 'विस्फोट' कर दिया गया। शासन के निर्देश पर PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने 27 मई 2025 को बरेली में नगर मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्यभार संभाला था। इस बात की चर्चा है कि उन्होंने तैनाती के कुछ समय बाद से ही सत्ता के खिलाफ बगावत की राह चुन ली थी। नगर मजिस्ट्रेट रहते हुए 12 अगस्त को वह 'पुनरुत्थान बरेली परिवार' नाम के WhatsApp ग्रुप से जुड़े। इस ग्रुप में उनके समेत 7 लोग एडमिन हैं। इस ग्रुप में 500 से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। चर्चा है कि ब्राह्मण समाज के कार्यक्रमों में अप्रत्यक्ष रूप से PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री सहभागिता भी रहती थी। कुछ समय पहले स्मार्ट सिटी आडिटोरियम में हुए एक कार्यक्रम में उनका खासा सहयोग भी रहा था। PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री कई गोपनीय बैठकें भी कर रहे थे।

900 KM की पदयात्रा! बृजभूषण शरण सिंह के लिए उज्जैन के महाकाल से गोंडा तक पदयात्रा, जानिए कौन है हेमंत सूर्यवंशी

महाराष्ट्र के हेमंत सूर्यवंशी ने आस्था और समर्पण की ऐसी मिसाल पेश की, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। उन्होंने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के प्रति सम्मान जताने के लिए उज्जैन से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले तक करीब 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की। महाराष्ट्र के रहने वाले हेमंत सूर्यवंशी की यह पदयात्रा इन दिनों पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। हेमंत ने बताया कि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान और स्नेह है। इसी भावना के चलते उन्होंने एक कठिन लेकिन भावनात्मक सफर करने का निर्णय लिया।

बृजभूषण सिंह के जन्मदिन से शुरू की यात्रा

हेमंत सूर्यवंशी ने 8 जनवरी को बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। यहां उन्होंने भगवान महाकाल से बृजभूषण शरण सिंह के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। दर्शन के बाद उन्होंने पैदल ही उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के विश्नोहरपुर गांव की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी।